

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

264 / 2011
20.09.2011

सेन्ट सोल्जर शिशा समिति जरिये सचिव बाबू लाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा
निवासी सिविल लाईन रोड टोंक राज0

..... प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक
- 3-तहसीलदार टोंक जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री बसंत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री दीपक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 24.09.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम मेहन्दवास तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 713/2 मे से 2500 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 1090/2009 दिनांक 05.07.2010 को निरस्त कर व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1090/2009 दिनांक 05.07.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 713/2 मे से कुल रकबा 2500 वर्गमीटर वाके ग्राम मेहन्दवास मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस

- 905 -


आरबीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)



जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टर द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म माल-2 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। प्रार्थी व्यवसायिक भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख०न० 713/2 में से 2500 वर्गमीटर, किस्म जमीन माल-2 वाके ग्राम मेहन्दवास का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद में संपरिवर्तन आदेश/निर्मित संरचना/वाणिज्यिक उपयोग होने का सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने बहस के दौरान जो उदाहरण दिया है, वह मास्टर प्लान में वाणिज्यिक था, परन्तु इस प्रकरण में ऐसा मास्टर प्लान/अन्य कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 05.09.2024 को दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं। दस्तावेजात के साथ जिस निर्णय की प्रति संलग्न की गई है वह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर टोंक कस्बे के पास तथा मास्टर प्लान में व्यवसायिक होने के कारण उक्त निर्णय पारित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि की मार्केट वैल्यू डी.एल.सी. दर से काफी ज्यादा होने का उल्लेख किया है, परन्तु इसकी तायद में भी कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं। डी.एल.सी. दरे मार्केट वैल्यू के अनुसार समय-समय पर संशोधित होती रहती है। प्रकरण में तत्समय की डी.एल.सी. दर के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से प्रार्थी की हद तक खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सौम्या झा)
अधीक्षक, एन.एन. 12
आवृत्त N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
(जिला कलेक्टर)
टोंक (रा.ज.)